



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

संख्या:- ३०६६ / FP/UK/ROAD/31090/2017 देहरादून: दिनांक २४ जून, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड,  
देहरादून।

विषय :- जनपद-चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर-पिथौरागढ़ एन0एच0 (नया-09)  
चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 है0 वन भूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को  
प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :- भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/112/2018/एफ0सी0/1109 दिनांक 16.03.2023

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 16.03.2023 के द्वारा चाही गयी सूचना के  
सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 3616/12-1(2) दिनांक 20.06.2023 से प्राप्त आख्या/सूचना  
निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :-

| क्र.स. | भारत सरकार द्वारा उल्लिखित बिन्दु  | प्रतिउत्तर  |
|--------|--|---|
| 1      | Referring to point 2 of EDS, It has been Noted that the proposed road intersects with 11 existing link roads, however, the necessary NoCs required for this intersection have not been provided and need to be submitted.  | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित बाईपास निर्माण विभाग चम्पावत के 11 सड़कों के कुछ भाग को काट रहा है अधिशारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग चम्पावत से अनापत्ति दी गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।  |
| 2      | Upon review of the response provided regarding point 5 of the EDS, it appears that the cutting work for the proposed road will be carried out on a 14 m on the hillside, which means the felling will only be done on this 14 m RoW, The State Government is requested to provide a separate list of trees within the 14m width, and the concerned DFO is requested to indicate how many trees will be affected and how many trees will be affected and how many need to be felled for the proposal. | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार 24 मीटर में अधिग्रहण का कार्य किया गया है। आपके निर्देशानुसार 14 मी0 चौड़ाई में पेड़ों की पुनः गणना की गयी है। जिसके अनुसार 14 मी0 चौड़ाई प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 1709 है तथा 24 मी0 चौड़ाई में की संख्या 2346 है। |
| 3      | The DSS analysis of the CA area indicates that patch one overlaps with the area of 6.68 ha proposed for CA in proposals FP/UK/ROAD/3899/2019 and FP/UK/ROAD/42256/2019, Clarification and necessary  | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल पूर्व में दिये गये थे उन स्थलों को संशोधित कर  |

24

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | need to be made regarding this matter.   | देवीधूरा-धूनाघाट कक्ष संख्या 22 क्षेत्रफल 5.5 है0 एवं कक्ष संख्या क्षेत्रफल 7 है0 तथा पूर्वी कान्तेश्वर कक्ष संख्या 11 अ क्षेत्रफल 6 है0 18.5 है0 के डिजिटल मैप, जियो रिफरेन्स मैप एवं गूगल मैप हस्ताक्षर उपरान्त 5-5 प्रति संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। |
| 4 | The KML file of the CA area is not currently available on the online portal the State Govt. is requested to upload the KML file of the CA area in part II para 13. | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की के0एम0एल0 ऑनलाईन के भाग 13 में अपलोड कर दिया गया है।  |

अतः प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।  
संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या 3066 / FP/UK/ROAD/31090/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 3616/12-1(2) दिनांक 20.06.2023 के क्रम में।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

(एस0एस0 रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

9c